राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018
Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018
Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

क्रमांकः प.8(100)/RSSB/प.अ./विविध/2024–00104 पार्ट फाइल/ दिनांकः e-Signed

विज्ञप्ति

कार्मिक (क–2) विभाग, राज. सरकार के पत्र राजकाज क्रमांकः 16836089 दिनांकः 29.07.2025 एवं निदेशालय विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अशा.टीप क्रमांक 12498 दिनांकः16.07.2025 के अनुसार भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की UDID परियोजनान्तर्गत दिव्यांगजनों (Persons With Disability) को विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु UDID कार्ड (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) जारी किए जाते है। उक्त UDID कार्ड UDID प्रोजेक्ट के official पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) के माध्यम से जारी किये जा रहे है। इस कार्ड का उद्देश्य दिव्यांगजनों की पहचान एवं सत्यापन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित करना, पारदर्शिता बढ़ाना एवं दिव्यांगजनों को कुशल एवं एकसमान सेवाएं प्रदान करना है। भारत सरकार से राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में UDID कार्ड को वैद्य प्रमाण (Valid Proof) के रूप में उपयोग/प्रोत्साहित करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

कार्मिक (क–2) विभाग के राजकाज क्रमांकः 17019339 दिनांकः 06.08.2025 द्वारा प्राप्त कार्यवाही विवरण के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांकः 24.06.2025 को दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाईडलाइन जारी की गई है जिसमें **मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांगजनों हेतु UDID कार्ड को वैद्य प्रमाण (Valid Proof) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान के परिपत्र कमांक 331 दिनांक 24.07.2025 भी संलग्न किया जा रहा है।**

उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 01.11.2025 एवं उसके बाद आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन (document verification) के समय एवं परीक्षाओं के लिए आवेदन के समय UDID registration/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा न तो UDID प्रमाण पत्र/कार्ड प्रस्तुत किया जाता है और न ही UDID कार्ड प्राप्त करने हेतु registration करवाए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो उनके दस्तावेज सत्यापन को लम्बित रखा जाएगा। अतः सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी अपना UDID कार्ड निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत यथा निर्देश Official UDID पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर प्राप्त कर लेवें।

(डॉ. बी. सी. बधाल)
सचिव

क्रमांकः प.8(100)/RSSB/प.अ./विविध/2024–00104 पार्ट फाइल/ दिनांकः e-Signed
प्रतिलिपिः

1. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ RSSB को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करावें तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में सम्मिलित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को SMS/ई–मेल के माध्यम से इस संबंध में तत्काल अवगत करावें।
2. रक्षित पत्रावली।

सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.08.25 16:50:23 IST
Reason: Approved